न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2018
दायर दिनांक :– 05/04/2018
निर्णय दिनांक :– 24/02/2022

उनवान

1. श्री भैरूलाल पिता नन्दलाल छीपा निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री नारायण पिता भेरा गाड़री निवासी कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. श्री ऊंकार पिता भगा गाड़री निवासी कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. श्री मांगीलाल पिता भूरा कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा – 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री राजकुमार लढ्ढ़ा

: निर्णय:

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंर्तगत धारा – 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि ग्राम कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर में आराजी संख्या 1442/1190 रकबा 0.22 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी स्वयं की खातेदारी से दर्ज होकर वादी के कब्जे एवं अधिकार में होकर वादी उपयोग कर रहा है। आराजियात पर वादी के पत्थर भी पड़े हुऐ हैं। वादी की उक्त खातेदारी व कब्जे की आराजियात में प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादी की उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजियात में दस्तन्दाजी करने पर आमदा है। कल दिनांक 04.04.2018 को सुबह 10 बजे की घटना है कि वादी अपनी खातेदारी व कब्जे अधिकार की उक्त आराजियात की देखभाल करने गया तो देखा कि प्रतिवादीगण संख्या एक व दो ने जमीन की बिना कोई पत्थरगढ़ी कराये एवं सीमा जानकारी कराये वादी की उक्त आराजियात के उत्तर दिशा में सीमा संबंधी लगे कास्या खान के पत्थरों को उखाड़ कर पश्चिम दिशा तक अनाधिकार रूप से जेसीबी मशीन से नींव खोद कर दीवाल बनाने पर आमदा है एवं प्रतिवादी संख्या तीन ने भी वादी के दक्षिण दिशा में अनाधिकार रूप से पत्थर खड़े कर तारबन्दी करने पर आमदा है। वादी ने जब प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 17:03:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ़ (राज.)

उसकी जमीन में निर्माण नहीं करने का विरोध किया तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा हो गये एवं वादी के साथ गाली गलौच करने पर उतारू हो गये एवं कहा कि दीवाल बना कर ही रहेगें एवं वादी को प्रतिवादीगण संख्या एक व दो ने धमकी दी, कि यदि हमारे द्वारा निर्माण कराये जा रहे कार्य में किसी प्रकार का अवरोध किया तो भविष्य में कभी भी जमीन पर नहीं आने देगें एवं हाथ पैर तोड़ डालेगें।

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह वादी की खातेदारी व कब्जे अधिकार में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी कर अनाधिकृत रूप से किसी प्रकार का कारतामीर आदि नहीं करे एवं न ही किसी प्रकार की तारबन्दी आदि ही करें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी पक्षकारान के मध्य बढ़ जायेगी। वादी की प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित वादी की खातेदारी व कब्जे अधिकारी की आराजियात में किसी प्रकार की दस्तअन्दाजी कर कारतामीर आदि नहीं करे एवं न ही किसी प्रकार की तारबन्दी आदि ही करे। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे अधिकारी की उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में अवैध रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण या तारबन्दी आदि कर लेवे तो जरिये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से हटाये जाने की डिकी वादी के पक्ष में जारी की जावे।

इस पर प्रकरण दिनांक 05.04.2018 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामील प्रतिवादीगण 1 से 3 उपस्थित नहीं आने से दिनांक 12.03.2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई। एकतरफा कार्यवाही की जाकर पत्रावली शहादत वादी में गवाह 1. श्री भैरूलाल पी.डब्ल्यू. 1, श्री श्यामलाल पी.डब्ल्यू. 2 तथा श्री वेणीराम पी. डब्ल्यू. 3 के शपथ पत्र पेश किये जो कि शामिल पत्रावली किये गये। शहादत वादी में श्री भैरूलाल द्वारा हाल जमाबंदी प्रस्तुत की जो कि प्रदर्श 1 तथा मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जो कि प्रदर्श 2 व 3 हैं।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि हम ग्राम कानरखेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 अनुसार आराजी संख्या 1442/1190 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि का रिकार्डेड़ खातेदार हैं। प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी करते हैं, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ग्राम कानरखेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 अनुसार आराजी संख्या 1442/1190 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि का रिकार्डेड़ खातेदार है। प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी करते हैं, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादी की प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित वादी की खातेदारी व कब्जे अधिकारी की आराजियात में किसी प्रकार की दस्तअन्दाजी कर कारतामीर आदि नहीं करे एवं न ही किसी प्रकार की तारबन्दी आदि ही करे। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे अधिकारी की उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में अवैध रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 17:03:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण या तारबन्दी आदि कर लेवे तो जरिये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से हटाये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में जारी की जावे।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कानरखेड़ा की आराजी संख्या 1442/1190 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि का वादी रेकार्डेड खातेदार होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि में दखलबन्दाजी, तारकामीर व तारबन्दी नहीं करें। उक्त आशय की डिक्री जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 17:03:52 IST
Reason: SelfAttested